संख्या-135/2021/ई-1911434 /71-3-2021-जी-229/2016

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 09 नवम्बर, 2021

विषयः- केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0अ0/बजट/2021/1732, दिनांक 28-10-2021, जिसके द्वारा राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अबतक कुल रू0 18597.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जो निम्नवत् है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016	500.00
2	संख्या-204/2016/3057/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 19-12-2016	1000.00
3	संख्या-77/2017/881/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 22-05-2017	554.16
4	संख्या-121/2017/3444/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 03-11-2017	5500.00
5	संख्या-04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016, दिनांक 24-03-2018	4500.00
6	संख्या-46/2018/1034/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5, दिनांक 17-12-2018	1000.00
7	संख्या-60/2019/386/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 27-03-2019	150.00
8	संख्या-72/2019/485/71-3-2019-जी-229/2016, दिनांक 29-04-2019	1200.00
9	संख्या-776/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 02.08.2019	3000.00
10	संख्या-89/2019/1295/71-3-2018-61/2018टीसी-2, दिनांक 22.11.2019	1193.00
	योग	18597.16

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु **द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ के सापेक्ष रू0 30.00 करोड़ (रू0 तीस करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. शासनादेश संख्या-129/2021/ई-102218/71-3-2021-जी-229/2016, दिनॉक 29-09-2021 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
5. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-135/2021/ ई-1911434 (1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
8. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।